

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई में टिप्पणी तारीख के साथ
11/12/2014	<p style="text-align: center;">सारण समाहरणालय, छपरा।</p> <p style="text-align: center;">न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा जिला विधि प्रशाखा आपूर्ति अपील संख्या 11/11 देवनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा) एवं अन्य आदेश</p> <hr/> <p>संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 192 दिनांक 13.1.11 के विरुद्ध दायर किया गया है। दायर अपील याद की सुनवाई की गयी।</p> <p>याद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 8.12.10 को अनुमंडल स्तरीय गटित जाँच दल (कार्यपालक दंडाधिकारी, मढ़ौरा एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, पानापुर) के द्वारा देवनाथ सिंह, जविप्रवि, अनुज्ञप्ति सं० 34/07, ग्राम-धवड़ी गोपाल, पंचायत-मदारपुर, थाना+प्रखंड-मशरक की दूकान की जाँच की गयी। जाँच के क्रम में पायी गयी अनियमितता इस प्रकार है:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दूकान बंद पायी गयी एवं विक्रेता दूकान से अनुपस्थित थे। 2. दूकान से संबंधित सूचनापट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट पर समुचित सूचना संघारित नहीं था। 3. विक्रेता की अनुपस्थिति के कारण स्टॉक पंजी/वितरण पंजी इत्यादि की जाँच नहीं की जा सकी तथा माँगने पर भी विक्रेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा उपरोक्त कागजात जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। 4. विक्रेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा भंडार के निरीक्षण हेतु भंडार खोलकर नहीं दिखाया गया, इससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रेता के द्वारा सरकार के द्वारा अनुदानित सामग्री का उपभोक्ताओं के बीच वितरण न कराकर 	



उसकी कालाबाजारी कर दी जाती है।

उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 3442 दिनांक 8.12.10 के द्वारा विकेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विकेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन विकेता के द्वारा प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक पाते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसे अस्वीकृत कर दिया गया तथा उनकी अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि जॉच की तिथि को विकेता बी.पी. एल. के गेहूँ का उठाव करने के लिए शरक गोदाम पर गए थे। इस तरह जॉच दल का जानबूझकर असहयोग नहीं किया गया, बल्कि संयोगवश हो गया। चूंकि दूकान की चाबी विकेता के पास थी, इसलिए उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा उसे खोलकर दिखाना संभव नहीं हो सका। इनके द्वारा सभी सामग्रियों का नियमित रूप से सामग्रियों का वितरण किया जाता है तथा किसी भी प्रकार की कोई भी अनियमितता नहीं बरती जाती है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने आदेश में अंकित किया गया है कि विकेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में अंकित कतिपय अनियमितताओं के संबंध में विकेता के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि विकेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों/पंजी में किसी प्रकार की कोई अनियमितता पायी गयी थी, तो उनसे पूरक कारणपृच्छा की जाती, लेकिन ऐसा नहीं करके विकेता के विरुद्ध उन बिन्दुओं को आधार बनाकर उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है, जिसका उल्लेख कारणपृच्छा में किया ही नहीं गया था और इस तरह विकेता को उन बिन्दुओं पर अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा विकेता की रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।


सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विकेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्तों, विभागीय दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।


उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के परिसीलन से पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के द्वारा Speaking order पारित नहीं किया गया है। विकेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में अंकित कतिपय अनियमितताओं के संबंध में विकेता के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि विकेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों/पंजी में

किसी प्रकार की कोई अनियमितता पायी गयी थी, तो उनसे पूरक कारणपृच्छा की जाती, लेकिन ऐसा नहीं करके विकेता के विरुद्ध उन बिन्दुओं को आधार बनाकर उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है, जिसका उल्लेख कारणपृच्छा में किया ही नहीं गया था और इस तरह विकेता को उन बिन्दुओं पर अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। ऐसे में इस मामले को पुनः जॉचोपरान्त वाद की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित



जिला वंडाधिकारी,
सारण, छपरा


जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक...1054...दिनांक...15/12/14

प्रतिलिपि:-अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा को निम्न न्यायालय का अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।


वरीय उप समोहर्ता
जिला विधि शाखा, सारण, छपरा।
15/12/14